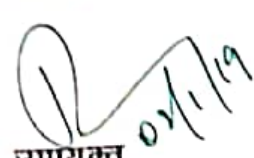


उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

भू-वापसी अपील वाद संख्या - 25/2011

मो० बिरसी मंझियान बनाम् राज्य एवं उमेश प्रसाद अग्रवाल

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
02-01-2019	<u>आदेश</u> अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना एवं निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख तथा अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि मौजा देवरिया, बरगांवा, थाना- पतरातू, थाना नं०- 48, खाता नं०- 36, प्लॉट नं०- 909, कुल रकबा- 5.68 एकड़ मध्ये रकबा- 0.05 एकड़ भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। उक्त खाते से संबंधित भूमि की जमाबन्दी अंचल कार्यालय में संधारित राजस्व पंजी-II के पृ०सं०-42/I पर मंगरा मांझी पिता मेहीदास मांझी के नाम से कायम है। आदिवासी खाते की भूमि विपक्षी को विधिवत् प्राप्त है या नहीं, यह संदिग्ध प्रतीत होता है। अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित दस्तावेज, भूमि हस्तान्तरण से संबंधित राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी, पतरातू द्वारा समर्पित प्रतिवेदन का विधिवत् जाँच/अवलोकन नहीं किया गया है। अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में निम्न न्यायालय द्वारा भू-वापसी वाद संख्या-06/2009-10 मो० बिरसी मंझियान वगै० बनाम् उमेश प्रसाद अग्रवाल में दिनांक 28.06.2011 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए, पुनः नये सिरे से विधिवत् सुनवाई कर आदेश पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाता है। इसी मन्तव्य के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें। लेखापित एवं संशोधित  उपायुक्त, रामगढ़।  उपायुक्त, रामगढ़।	42/मिनि 02/01/19

